बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 307

अच्छी खबर, बुरी खबर

भारत में रोजगार की स्थिति के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के अनुमानों का इस समाचार-पत्र में छपी खबरों ने काफी ध्यान खींचा है। इनका सबसे अधिक चौंकाने वाला खुलासा यह है कि बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह स्वाभाविक रूप से बहुत चिंताजनक है। हालांकि एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जानी चाहिए। ये रोजगार के रुझानों को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबरें बयां करते हैं। इन पहलुओं में आगे की सरकारी नीति के भी निहितार्थ हैं।

एक खुलासा यह है कि हालांकि 2011-12 और 2017-18 के बीच कुल श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भारी गिरावट आई है, लेकिन गिरावट मुख्य रूप से महिलाओं में रही है। वर्ष 2011-12 और 2017-18 एनएसएसओ के दो हालिया और प्रासंगिक सर्वेक्षण दौर हैं। श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 49.8 फीसदी थी, जो 2011-12 में 55.9 फीसदी की तुलना में कम थी। यह 2004-05 में 63.7 फीसदी की तुलना में और ज्यादा कम थी। लेकिन हाल के वर्षों में 15 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में गिरावट दोगुनी रही। इसमें 2011-12 और 2017-18 के दौरान 8 फीसदी गिरावट आई है, जबकि पुरुषों में गिरावट 4 फीसदी रही। अब 2017-18 में वयस्क महिलाओं की कुल श्रम बल में भागीदारी (एलएफपीआर) 23.3 फीसदी के निम्न आंकड़े पर आ गई है। इसकी मुख्य वजह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में भारी गिरावट आना है।

शहरों में महिला एलएफपीआर लगभग पहले के स्तर पर ही है, जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में 11 फीसदी घटी है। यह अच्छी खबर नहीं है। कुछ ने तर्क दिया है कि यह मांग आधारित है यानी महिलाएं स्वेच्छा से कम काम कर रही हैं। लेकिन ऐसा होना भी वृहद आर्थिक स्तर पर कोई सकारात्मक रुझान नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि शिक्षा में नामांकन बढ़ने से इसमें कमी आई है। इसके बजाय यह संभव है कि महिलाओं के रोजगार को आय के निचले स्तरों पर एक जरूरत के रूप में देखा जाता हो और जब आय में बढ़ोतरी हो तो महिलाएं कार्यबल से बाहर हो जाती हों। या ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष बेरोजगारी में बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 'महिलाओं का काम' पुरुषों को दे दिया गया हो और इसलिए महिलाओं ने घर से बाहर काम करना बंद कर दिया हो। इनमें से वजह कुछ हो, लेकिन यह एक ढांचागत समस्या है, जिसका समाधान खोजा जाना चाहिए। जब तक भारत के आधे से अधिक कार्यबल का समुचित उपयोग नहीं होगा, तब तक भारत तरक्की और प्रगति नहीं कर सकता। रोजगार और कौशल नीति के डिजाइन में बदलाव किया जाना चाहिए और इसमें महिलाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा भी कुछ अच्छी खबरें हैं। एनएसएसओ के 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक नियमित वेतन पाने वाले लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह शहरों में बढ़कर 47 फीसदी हो गई है, जो 2011-12 में 43.4 फीसदी थी। इसमें 2004-05 में 2011-12 के बीच भी इतनी ही वृद्धि हुई थी। वर्ष 2004-05 में यह 39.5 फीसदी थी। अगर करीब आधे शहरी कार्यबल को मासिक वेतन मिल रहा है तो यह अर्थव्यवस्था के औपचारिक बनने की संभावना का एक अहम सूचक है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि कार्यबल के इस वर्ग के लिए आय सुरक्षा बढ़ रही है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है। इन वेतनभोगी कामगारों में से आधों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से 70 फीसदी के साथ औपचारिक अनुबंध नहीं हैं। साफ तौर पर औपचारिकता का काम पहले से चल रहा है, लेकिन अब पहले की तुलना में सफल औपचारिकता की ज्यादा संभावनाएं हैं।

अजय मोहंती

सीपीटीपीपी के लिए तैयारी करे भारत

भारत को आरसीईपी पर वार्ता जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए और भविष्य में सीपीटीपीपी का सदस्य बनने की संभावना के मद्देनजर अपनी व्यापार एवं संबंधित नीतियों में सुधार करना चाहिए। बता रही हैं **अमिता बत्रा**

हाल ही में एशिया महाद्वीप में क्षेत्रीय व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। इस बदलाव पर भारत में शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पिछले साल 30 दिसंबर को कॉम्प्रीहेन्सिव ऐंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) समझौता प्रभाव में आया था। इसके 11 सदस्यों में छह देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जपान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और सिंगापुर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीपीटीपीपी पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) के नाम से जाना जाता था और अमेरिका भी बतौर सदस्य इसमें शामिल था। अमेरिका के बाहर होने के बावजूद सीपीटीपीपी ने आगे कदम बढ़ाया है। इस समझौते पर मुहर लगने के बाद 14 जनवरी को सीपीटीपीपी के सातवें सदस्य देश वियतनाम ने भी इसका हिस्सा बनने की हामी भर दी। पहले चरण में शुल्कों में की जाने वाली कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। चिली 95 प्रतिशत, कनाडा 94 प्रतिशत, जापान 86 प्रतिशत और मैक्सिको 77 प्रतिशत कटौती कर रहे हैं। जापान द्वारा शुल्कों में की जाने वाली कटौती इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। वियतनाम ने शुल्कों में सबसे कम 66 प्रतिशत की कमी की है, लेकिन अगले तीन साल में यह आंकड़ा बढ़कर 87 प्रतिशत हो जाएगा। दूसरे सदस्य देशों की संबंधित सहमति प्रक्रियाओं के बाद ब्रुनेई, चिली, मलेशिया और पेरु के लिए यह संधि प्रभावी हो जाएगी।

टीपीपी की तरह ही सीपीटीपीपी भी एक महत्त्वाकांक्षी बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत हुए समझौतों के अतिरिक्त दूसरे उपायों की भी पेशकश करता है, जो व्यापार और निवेश प्रोत्साहन के अलावा एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च श्रम एवं पर्यावरण मानक बहाल करने पर भी जोर देते हैं। वास्तविक टीपीपी समझौते के लगभग सभी प्रावधान सीपीटीपीपी में समाहित किए गए हैं। हालांकि निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े 22 प्रावधान इसकी जद से बाहर रखे गए हैं। ये प्रावधान मोटे तौर पर अमेरिका के लिए अधिक मायने रखते थे। इनमें या तो संशोधन किए गए हैं या ये निलंबित रखे गए हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी खरीद प्रक्रिया, ई-वाणिज्य और राज्य नियंत्रित उद्यम आदि से जुड़े प्रावधान बरकरार रखे गए हैं।

शुल्कों में कटौती के साथ सदस्य देशों के बीच व्यापार के गहराई से एकीकरण और नियामकीय माहौल के उच्च मानकों के साथ सीपीटीपीपी उत्पादन क्षमता अधिक से अधिक साझा करने पर जोर देने और आपसी सहयोग के क्षेत्र में संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एफटीए की मदद से व्यापार सुगमता आने, व्यापार पर कम खर्च और तरजीही बाजार तक पहुंच से सदस्य देशों की सीमाओं से कच्चे माल के आवागमन में मदद मिलेगी। यह वैश्विक मूल्य शृंखला (वस्तु या सेवाओं में लगे लोग एवं गतिविधियां और इनकी वैश्विक स्तर पर आपूर्ति) साथ ही उपभोग मांगों के लिए तैयार वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्त्वपूर्ण है। ये बातें ऐसे समय में और अधिक अहम हो जाती हैं जब दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ व्यापार से जुड़े मतभेदों में उलझी हुई हैं।

अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सत्तारूढ़ होने के बाद दुनिया में संरक्षणवाद के बढ़ते चलन से निवेशकों के उत्साह और निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापार का ताना-बाना निश्चित तौर पर प्रभावित होगा और इसका असर दिख भी रहा है। सीपीटीपीपी गहरे और उन्नतिशील व्यापार उदारीकरण का औजार है, जो व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद की तोड़ निकालने में कारगर होगा।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूर्व में वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं के सृजन में भागीदार बनने से लाभान्वित हुई है। इससे उन्हें उत्पादकता बढ़ाने, कौशल युक्त रोजगार संभावनाएं सृजित करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने में पिछले डेढ़ दशक में मदद मिली है। लिहाजा, मौजूदा समय में सीपीटीपीपी के जरिये सतत जारी रहने वाला मूल्य शृंखला आधारित गतिविधियां न केवल इस क्षेत्र के व्यापार और आर्थिक वृद्धि में सहायक हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार और वृद्धि के लिए भी संभवत: अहम है। ऐसा इसलिए भी होगा, क्योंकि कालांतर में व्यापार एवं वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं के सृजन से पैदा होने वाली संभावनाएं सदस्य देशों के मुक्त व्यापार समझौते के रास्ते दूसरी अर्थव्यवस्थाओं तक भी पहुंचेगी। जापान और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार संबंध इसका एक उदाहरण है।

वर्तमान संदर्भ में तीन बातें भारत के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि हमें दूसरे सदस्य देशों से मिलने वाली प्रतिस्पर्द्धा के डर से एफटीए में भाग लेने से नहीं कतराना चाहिए। व्यापार एवं निवेश के लिए अवसर मुहैया करने के अलावा एफटीए वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं के सृजन में भागीदार बनने में मदद करता है। व्यापार उदारीकरण एवं सुधार को प्रोत्साहन देने के मामले में डब्ल्यूटीओ कमजोर पड़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार शर्तें एवं नियम तय करने में एफटीए एकमात्र उपलब्ध साधन साबित हो सकता है।

वियतनाम जैसा छोटा देश भी एफटीए को एक अवसर के रूप में देख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वियतनाम का दृष्टिकोण हाल की इसकी आर्थिक प्रक्रिया और कारोबारी माहौल की सकारात्मक समीक्षा का परिणाम है। 2018 में वियतनाम की आर्थिक वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रही थी और यह दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। 2018 के लिए विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता सूची में वियतनाम 14 पायदान उछलकर 190 देशों में 68वें स्थान पर रहा। यह 2019 में 190 देशों में 69वें स्थान पर रहा। दिलचस्प बात है कि इसी सूची में भारत का भी सकारात्मक प्रदर्शन रहा है। भारत 2019 में 23 स्थान उछलकर 77वें पायदान पर आ गया। भारत को इस प्रदर्शन से उत्साहित होना चाहिए और घरेलू सुधारों को जोर देने के लिए एफटीए को एक साधन के तौर पर देखना चाहिए और वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं के सृजन में अपनी क्षमता का संपूर्ण लाभ उठाना चाहिए।

दूसरी अहम बात यह है कि सीपीटीपीपी हरेक दशों के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कुछ रियायतें भी देता है। उदाहरण के लिए कनाडा के सांस्कृतिक उद्योग और वियतनाम के श्रम सुरक्षा कानून को इससे लाभ मिल रहा है, साथ ही सदस्य देशों में विभिन्न स्तरों और अवधि के लिए शुल्कों में कमी आदि से भी मदद मिलती है। भारत को भी इन उदाहरणों से प्रेरित होकर अपने संवेदनशील क्षेत्रों के लिए रीजनल काम्प्रीहेंसिव ऐंड इकनॉमिक कोऑपरेशन (आरसीईपी) समझौते के तहत रियायत और सुरक्षा पाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आरसीईपी पर फिलहाल बातचीत जारी है।

तीसरी अहम बात यह है कि आने वाले समय में सीपीटीपीपी के सदस्य देशों की संख्या में विस्तार होगा, जिससे क्षेत्रीय एवं वैश्विक व्यापार का दायरा और बढ़ेगा। 19 जनवरी को सीपीटीपीपी के वाणिज्य मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी, जिसमें यह समझौता उन नए सदस्य देशों के लिए खुला रखने का निर्णय हुआ था, जो उच्च मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वजह से जल्द ही आसियान के दूसरे देश जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं जैसे दक्षिण कोरिया और ताइवान इस समझौते में शामिल हो सकते हैं। ये सभी देश सीपीटीपीपी का हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिटेन और कोलंबिया ने भी इस समझौते में शामिल होने की मंशा जताई है। सीपीटीपीपी से जल्द ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक व्यापार व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होगा। अब समय आ गया है कि भारत इसका संज्ञान ले और आरसीईपी पर बातचीत जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाए। भविष्य में सीपीटीपीपी का सदस्य बनने की संभावनाओं के मद्देनजर उसे अपनी व्यापार एवं संबंधित नीतियों में सुधार करना चाहिए।

विनाश के चक्र को बदलने की सख्त जरूरत

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

कुछ सप्ताह पहले मैंने इस बात की चर्चा की थी कि कैसे दिल्ली की तथाकथित अवैध कॉलोनियों में 'अवैध' औद्योगिक गतिविधियां फल-फूल रही हैं। यह शिव विहार का मामला था, जहां जीन्स को नीले रंग में रंगने के लिए घरों में फैक्टरियां चल रही थीं। इस मामले का दिल्ली उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था क्योंकि इन इकाइयों से निकलने वाले रसायनों से भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा था और इसे कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी की वजह बताया जा रहा था।

मैंने हाल ही में इस कॉलोनी का दौरा किया। यह अन्य अवैध कॉलोनियों की तरह ही है। इन कॉलोनियों को शहर के मास्टर प्लान में अवैध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें सरकार से मंजूरी नहीं मिली हुई होती है। मास्टर प्लान में ऐसी कॉलोनियों के लिए न कोई योजना है और न ही उनका वजूद है। अकेले शिव विहार में ही करीब 1 लाख लोग रहते हैं। यह जमीन कागजों में कृषि भूमि है, लेकिन यहां अवैध रूप से मकानों का निर्माण हो गया है। यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, इसलिए लोग भूजल पर निर्भर हैं।

यहां भूजल इसलिए पर्याप्त मात्रा में है क्योंकि यह यमुना के बहाव क्षेत्र से बहुत नजदीक है। पानी भरपूर होने के कारण ही यहां रंगने की इकाइयां लगी हैं। यहां कोई आधिकारिक सीवेज कनेक्शन नहीं हैं और घरों का अपशिष्ट जल खुली नालियों में छोड़ा जाता है। ये नालियां बड़े नालों में जाकर मिल जाती हैं और ये बड़े नाले यमुना में जाकर मिल जाते हैं। इस तरह सभी घरेलू और रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ नदी में पहुंच जाते हैं।

मेरे दौरे का मकसद 'अवैध' फैक्टरियों की स्थिति का पता लगाना और यह देखना था कि क्या हमें परीक्षण के लिए पानी के और नमूने एकत्रित करने चाहिए। पहले मैंने लिखा था कि मास्टर प्लान के मुताबिक अवैध कॉलोनियों में औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। घरों में चलने वाले स्वीकृत उद्योगों की एक सूची है। लेकिन कपड़े को रंगने के लिए रसायनों का इस्तेमाल करना उस सूची में शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय ने इन फैक्टरियों पर कार्रवाई की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो को उन अधिकारियों का पता लगाने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने इन्हें परिचालन की मंजूरी दी।

अदालत की यह कार्रवाई कामयाब रही। मैंने पाया कि सभी रंगाई इकाइयां (या घर) बंद हैं। बहुत से घरों के दरवाजों पर सील लगी थीं, जो आधिकारिक रूप से बंद होने का संकेत दे रही थीं। लेकिन जब मैंने नाले को देखा तो यह नीला नजर आ रहा था। हम संकरी गलियों से होकर आगे बढ़े। हम एक बंद दरवाजे के बाहर पहुंच गए। वहां हम मशीनों की आवाज सुन सकते थे और यह देख सकते थे कि नीला रंग नाले में बहकर बाहर आ रहा है।

मैंने पूछा कि मुझे यह बताया गया कि दिल्ली में यह फैक्टरी बंद है, इसलिए यह रंग कहां से आ रहा है? यह उत्तर प्रदेश है। यहां दोनों राज्यों की गलियां मिलती हैं। फैक्टरी का दरवाजा दिल्ली में खुलता था। अब इस इकाई का पिछला दरवाजा खोला जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में खुलता है। दूसरी फैक्टरी की भी यही कहानी थी। मुझे फिर यह बताया गया कि यह गली उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में नहीं।

जब अदालत कार्रवाई करती थी तो ये फैक्टरियां आधिकारिक रूप से बंद हो जाती थीं और फिर महज कुछ घर दूर ली जाती थीं। मगर वे दिल्ली से उत्तर प्रदेश चली जाती थीं। दूसरा राज्य दूसरी अदालत का क्षेत्राधिकार है। लेकिन तथ्य यह है कि ये फैक्टरियां अब भी अपना अपशिष्ट जल उसी नाले में डाल रही हैं, जो यमुना में आकर मिलता है। यह अपशिष्ट जल अब भी भूजल को प्रदूषित कर रहा है और जीवन और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। इस स्तर पर भी कोई बदलाव नहीं आया है।

पर्यावरण नियमन की लागत बढ़ने से संपन्न देशों में उत्पादन लागत बढ़ गई है। ये देश अपने पानी और वायु की गुणवत्ता की संभाल करने में सक्षम हैं। इनमें लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां की सरकारों ने प्रदूषण पर कार्रवाई की। वहां यह खत्म हो गया। यह प्रदूषण चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या भारत जैसे देशों में पहुंच गया। हमारा प्रतिस्पर्धी लाभ यह था कि हम लागत को कम रख सकते थे क्योंकि श्रम और पर्यावरण अनुपालना की लागत कम थी।

हमारे विश्व में जहां फैक्टरियां गई थीं और प्रदूषण फैलाना शुरू किया था, वहां कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इस बार पर्यावरण को लेकर। उदाहरण के लिए दिल्ली में करीब 10 साल पहले उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों पर रोक लगा दी थी। नियामकों ने 'अवैध' उद्योगों पर कार्रवाई की। इसके बाद ये उद्योग वैध क्षेत्रों से शिव विहार जैसे अवैध क्षेत्रों में कूच कर गए। इन क्षेत्रों में प्रदूषण नियामक कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह साफ है। 'ये फैक्टरियां वजूद में नहीं हैं क्योंकि वे अवैध हैं। अगर हम उन्हें नोटिस देते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें वैध बनाना होगा, जो हम नहीं कर सकते।' लेकिन यह स्थिति प्रदूषण के लिए बहुत खतरनाक है।

इसलिए अब हमें कहां जाना चाहिए? शिव विहार शांति नगर में पहुंच गया है। शांति नगर उत्तर प्रदेश की अवैध कॉलोनी है, जहां अदालत और नियामक की नजर नहीं पड़ती है। मैंने फैक्टरियों में पाया कि गरीब प्रवासी मजदूर दयनीय हालात में काम कर रहे हैं। नंगे हाथों से रसायनों का काम कर रहे हैं। इन पर जहरीले पदार्थों का सबसे अधिक असर पड़ता है। मैंने कॉलोनी में पाया कि हर कोई इसी प्रदूषित भूजल पर निर्भर है। लेकिन वे गरीब हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें इस विनाश के चक्र को बदलना होगा।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरनमेंट से जुड़ी हैं।)

कानाफूसी

एक विषय, दो रैप

आम चुनाव करीब आ चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पिछले दिनों अपनी उपलब्धियों पर केंद्रित रैप वीडियो जारी किए। इसमें कोई नयी या अस्वाभाविक बात नहीं है। बात केवल यह है कि दोनों दलों ने एक ही गाने का इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग वीडियो तैयार कराए हैं। आजादी शीर्षक वाला यह गीत गली बॉय फिल्म से लिया गया है। यह फिल्म 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है। दोनों दलों ने इस वीडियो में ऐसे शॉट और पोस्टर इस्तेमाल किए हैं जो उनकी पसंदीदा परियोजनाओं और चुनावी नारों से भरे हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे के खेमे के सितारा हैसियत वाले बेटों को निशाने पर रखा है। इतना ही नहीं साफ शब्द पर भी काफी जोर दिया गया है। अगर गाने से एक पंक्ति उधार ली जाए तो यहां 'शक्ल अलग, वही जात' वाला मामला है।

कार सवारों को हेलमेट!

यातायात व्यवस्था को सहज और आसान बनाने के लिए मध्य प्रदेश यातायात पुलिस ने कई शहरों में हाई-टेक ई-चालान की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शहर की यातायात पुलिस ने जगह जगह पर उच्च तकनीक से लैस कैमरे लगा दिए हैं। पिछले दिनों जबलपुर शहर के लोगों के लिए यह व्यवस्था मुसीबत बन गई। दरअसल यातायात का नियम तोड़ने वाले के पते पर स्वत: ई-चालान पहुंच जा रहा था। मुसीबत तब हो गई जब बहुत से कार चालकों को हेलमेट न पहनने के कारण चालान भेज दिया गया। उन्हें लगा कि भला कार चालकों के लिए कब से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। वास्तव में इस व्यवस्था को जारी करने के पहले ठीक से परखा नहीं गया था। इसलिए यह मुसीबत आई। अब यातायात विभाग इस कमी को दूर करने में जुटा हुआ है।

आपका पक्ष

पीएम किसान योजना से उम्मीदें

हाल ही में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की घोषणा की है। इसमें 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान तीन किस्तों में होगा। योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आज देश में करीब 12 करोड़ लघु सीमांत किसान हैं परंतु कृषि आज घाटे का सौदा बनती जा रही है। स्थिति यह हो गई है कि अब किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। इसलिए इस समस्या का समाधान खोजना अपरिहार्य हो गया है। पीएम किसान योजना एक कल्याणकारी पहल प्रतीत होती है लेकिन इसके क्रियान्वयन में तमाम चुनौतियां विद्यमान हैं। आज कई राज्यों में भूमि का डिजिटल डेटा उपलब्ध नहीं है और जिन राज्यों में यह डेटा उपलब्ध भी है वहां कोई ऐसी एकल खिड़की प्रणाली नहीं है जहां से किसी कृषक की संपूर्ण

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मार्च 2019 तक पहली किस्त दी जानी है

भूमि का पता लगाया जा सके। परंपरागत रूप से इतने किसानों का सही डेटा जुटाने में लंबा वक्त लग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को वैधता प्रदान कर दी है इसलिए सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने के लिए इस योजना में आधार को अनिवार्य बनाया जा सकता है जिससे किसानों की पहचान आसानी से हो सके और एक ही किसान को अन्य जगहों से लाभान्वित होने से रोका जा सके। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि आगामी दौर में भूलेखों के साथ आधार नंबर पंजीकरण होने पर अपात्रों की पहचान की जा सकेगी। इसके अलावा तत्काल एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान वेब पोर्टल तैयार किये जाने की आवश्यकता है जिससे किसान कहीं से भी अपना पंजीकरण करा सकें। अंतत: यही कहा जा सकता है कि वास्तव में किसानों की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, ऐसे में यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं योजना कृषि विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

सुमित यादव, कालपी

स्वरोजगार से दूर होगी बेरोजगारी

अगर हमें बेरोजगारी की समस्या का स्थायी निदान करना है तो किसी भी राष्ट्र को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। यह इस समस्या का सर्वोत्तम और स्थायी समाधान है। रोजगार के लिए अवसरों का सृजन भले ही व्यवस्था के जिम्मे हो लेकिन इस व्यवस्था को गढ़ना भी देशवासियों के ही जिम्मे होता है। ये व्यवस्थाएं मूल रूप से सहूलियतें दिलाती हैं और नीति निर्धारण करती हैं। बेरोजगारों को लगन, निष्ठा और कौशल के जरिये लगातार प्रयास करते रहने होंगे और उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे किसी अवसर को ना छोड़ें। लिहाजा उद्यमशीलता हर हाल मे युवाओं का मूल मंत्र बन सकती है। विनिर्माण क्षेत्र मे अपार संभावनाएं हैं लेकिन हमें सोचना होगा कि एक बार के प्रयास से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा। शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करना होगा जिससे विद्यार्थियों में स्वरोजगार और उद्यमी बनने की मानसिकता विकसित हो। हमें विश्व में हो रहे तकनीकी विकास के साथ कदम मिलाकर चलना होगा जिससे नए अवसरों को भुनाया जा सके।

हिम्मत जोशी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।